

क्रमांक - रास्कूशिप/जय/औवैशि/2020-21/

/ 15856

दिनांक : 13/10/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

अति० जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

विषय - विद्यालयों को पुनः खोलने से पूर्व चलाये जा रहे 'Public Health Response to Covid-19 Appropriate Behaviour' कैम्पेन की सामग्री (IEC Material) की पहुंच सुनिश्चित करने बाबत।
सन्दर्भ - शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का DO No. 1-3/2020-IS.5 दिनांक 01.10.2020 की पालना में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रानुसार कोविड-19 के कारण बन्द किये गये विद्यालयों को पुनः खोलने के सम्बन्ध में चलाये जा रहे 'Public Health Response to Covid-19 Appropriate Behaviour' कैम्पेन की सामग्री (IEC Material) की पहुंच राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों तथा उनके अभिभावकों तक सुनिश्चित की जानी है।

निर्देशों की पालना में दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 को आयोजित वी०सी० में निर्देश प्रदान किये गये थे। साथ ही सम्बन्धित सामग्री आपको वॉट्स-अप ग्रुप, ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। राज्य स्तर पर कार्य की मॉनीटरिंग करने पर संज्ञान में आया है कि कतिपय जिलों द्वारा आदिनांक विशेष प्रगति नहीं की है।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न की जा रही सामग्री को समस्त जिला /ब्लॉक/सीआरसी स्तर के अधिकारियों/शिक्षकों को प्रेषित करवाते हुये ई-कन्टेन्ट के रूप में प्रत्येक राजकीय एवं निजी विद्यालयों के बच्चों एवं अभिभावकों तक पहुंच सुनिश्चित करावें। साथ ही सीआरसी अपने अधिनस्थ विद्यालयों के समस्त अध्यापकों के साथ सामग्री की पहुंच सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित करें।

प्रपत्र

जिला -

ब्लॉक का नाम	कुल विद्यालय संख्या		विद्यालयों की संख्या जहां IEC Material ई-कन्टेन्ट के रूप में पहुंचाया जा चुका है।		कोविड कैम्पेन पर चर्चा व ई-कन्टेन्ट की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सीआरसी द्वारा अपने अधिनस्थ विद्यालयों की संख्या जिनकी बैठक आयोजित की गयी		बच्चों एवं अभिभावकों की संख्या जिन्हें IEC Material ई-कन्टेन्ट के रूप में पहुंचाया जा चुका है।	
	निजी	राजकीय	निजी	राजकीय	निजी	राजकीय	बच्चे	अभिभावक

सूचना उपरोक्त प्रपत्र में परिषद कार्यालय को तत्काल schoolreopen@gmail.com पर प्रेषित करें। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः IEC Material पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध करवायी जा रही है।

विशेष - बैठक आयोजन में कोविड-19 की सुरक्षा सम्बन्धित भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग में जारी गाइड लाईन की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(ओम प्रभा)

उपायुक्त-सप्तम

क्रमांक - रास्कूशिप/जय/AS & FE/2020-21/ 15856 दिनांक :- 13/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I व II), राज० स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उपायुक्त-सप्तम